न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर
रेफरेन्स प्रकरण संख्या – 11/2018

सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर .....प्रार्थी

बनाम

1. रामदेव पुत्र पांचू कौम माली सा0 ग्राम चाचियावास तहसील अजमेर (मृतक)
   1/1 मंगलचन्द पुत्र रामदेव
   1/2 गणपत सिंह पुत्र रामदेव
   1/3 नाथीदेवी पुत्री रामदेव
   1/4 बसन्ती देवी पुत्री रामदेव
   1/5 मैनादेवी पुत्री रामदेव समस्त जाति माली सा0 ग्राम चाचियावास तहसील अजमेर
2. सीताराम टांक पुत्र रामगोपाल टांक निवासी सी–4 चन्द्रवरदाई नगर ब्यावर रोड अजमेर .....अप्रार्थीगण
3.

अन्तर्गत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री ओम प्रकाश गुर्जर — राजकीय अभिभाषक
श्री वी0एस. भाटी — अभिभाषक अप्रार्थी 2

आदेश

दिनांक –26.08.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार अजमेर द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में वादग्रस्त भूमि का नियमन निरस्त फरमाने के आदेश प्रदान कराने एवं उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने हेतु आदेश पारित करने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किया गये। अप्रार्थीगण के नाम जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/5 नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री वी.एस. भाटी अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उभय पक्ष को सुना गया। पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम चाचियावास स्थित हाल खसरा नम्बर 1127 रकबा 1.10 हैक्टर किस्म बारानी 3 में श्री सीताराम टांक पुत्र रामगोपाल टांक सा0 देह हाल निवासी सी 40 चन्द्रवरदाई नगर ब्यावर रोड अजमेर के नाम खातेदारी दर्ज है जिसे निरस्त कर सरकार के नाम दर्ज किये जाने है। ग्राम चाचियावास के आराजी खसरा नम्बर 1127/1 रकबा 0.96 हैक्टर के साबिक खसरा नम्बर 1395 मी रकबा 06 बीघा के साबिक खसरा नम्बर 1142 मी0 रकबा 06 बीघा का न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार (नियमन) अजमेर के आदेश दिनांक 02.07.1969 से रामदेव वल्द पांचू कौम माली सा. देह के जारी किये गये थे जिसका अमल सक्षम न्यायालय जिला कलक्टर महोदय ने तहसीलदार अजमेर के विरूद्ध प्रार्थना अन्तर्गत धारा 127 व 133 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर पारित निर्णय दिनांक 26.

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

08.2010 में न्यायालय अति0 तहसीलदार अजमेर (नियमन) अजमेर के वाद संख्या 263/68 निर्णय दिनांक 02.07.1969 की पालना हेतु निर्देश जारी किये गये। उक्त वर्णित भूमि पर न्यायालय निर्णय की पालना में नामान्तकरण संख्या 114 दिनांक 16.09.2010 तस्दीक कर राजस्व रेकार्ड में रामदेव पुत्र पांचू के फौत होने पर नामान्तकरण संख्या 735 दिनांक 30.09.2010 से रामदेव पुत्र पांचू के वारिसान मंगलचन्द, गणपतसिंह, पुत्र रामदेव नाथीदेवी मैना देवी, बसन्ती देवी पुत्रीयॉ रामदेव कोम माली के नाम दर्ज किया गया। उक्त भूमि के खातेदारो द्वारा उक्त रकबे का बैचान किये जाने से नामान्तकरण संख्या 736 दिनांक 13.11.2010 से खातेदार के स्थान पर क्रेता सीताराम टांक पुत्र रामगोपाल टांक सा0 देह हाल निवासी सी 40 चन्द्रवरदाई नगर ब्यावर रोड अजमेर के नाम दर्ज किया गया। उक्त भूमि के सबंध में जिला कलक्टर महोदय अजमेर के निर्णय दिनांक 26.8.2010 के विरूद्ध भगवन्त एज्यूकेशन फाउण्डेशन द्वारा प्रथम अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर में की गयी। उक्त वर्णित भूमि के सबंध में न्यायालय अति. सभांगीय आयुक्त अजमेर ने अपील संख्या 16/11 बउनवानी भगवन्त एज्यूकेशन फाउण्डेशन बनाम मंगलचन्द व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.11.2011 से प्रथम अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर के निर्णय दिनांक 26.08.2010 को अपास्त करते हुए वादग्रस्त भूमि को सिवायचक करने के आदेश तहसीलदार अजमेर प्रदान किये गये जिसकी पालना में तहसीलदार अजमेर ने नामान्तकरण संख्या 24 दिनांक 25.11.2011 से उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज कर दी गयी। उक्त भूमि के सम्बन्ध में वादी (खातेदार सीताराम टांक पुत्र रामगोपाल टांक) ने न्यायालय अति0 सभांगीय आयुक्त अजमेर के निर्णय/आदेश दिनांक 04.11.2011 के विरूद्व द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की गयी। उक्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने निर्णय दिनांक 21.01.2014 में अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त के आदेश दिनांक 04.11.2011 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त अजमेर को प्रतिप्रेषित की गयी की अपील में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी धारा 5 मियाद अधिनियम व आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी का निस्तारण अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व किया जावे। उक्त भूमि के सबंध में न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश की पालना में न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त अजमेर में सुनवाई हेतु दर्ज अपील संख्या 07/2014 बउनवानी भगवन्त एज्यूकेशन फाउण्डेशन बनाम मंगलचन्द व अन्य में उभय पक्षकारान के द्वारा अपील नही चलाने एवं नोट प्रेस किये जाने से आदेश दिनांक 11.11.2014 से खारिज की गई। उक्त भूमि के सम्बन्ध में नामान्तकरण संख्या 114 के निस्तारण के क्रम में माननीय न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2018 के निस्तारण के क्रम में माननीय न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2018 निर्णय दिनांक 28.02.2018 में प्रकरण 10/2010 बउनवानी मगलचन्द वगैरह बनाम तहसीलदार अजमेर में पारित पूर्व निर्णय 26.8.2010 यथावत तथा अति0 संभागीय आयुक्त अजमेर आदेशानुसार स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 24 दिनांक 25.11.2011 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 21.01.2014 व अति0 संभागीय आयुक्त के पुनः पारित आदेश दिनांक 11.11.2014 खारिज किये जाने से नामान्तकरण संख्या 24 दिनांक 25.11.2011 स्वतः निष्प्रभावी हो गया। उक्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार

जिला कलक्टर
अजमेर

(नियमन) अजमेर का आदेश दिनांक 02.07.1969 का था जो कि वर्ष 2010 तक लिमिटेशन एक्ट में अवधि पार हो चुका था। उक्त भूमि वर्ष 2010 तक सिवायचक दर्ज थी। प्रकरण में राजहित प्रभावित था तथा अति0 संभागीय आयुक्त अजमेर में सुनवाई हेतु दर्ज अपील संख्या 07/2014 बउनवानी भगवन्त एज्यूकेशन फाउण्डेशन बनाम मंगलचन्द व अन्य में उभय पक्षकारान के द्वारा अपील नही चलाने एवं नोट प्रेस किये जाने पर पारित आदेश दिनांक 11.11.2014 में राजहित की अनदेखी करते हुए राजकीय पक्ष को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया गया जो राजहित में नही था। ग्राम चाचियावास स्थित हाल खसरा नम्बर 1127 रकबा 1.10 हैक्टर किस्म बारानी 3 साबिक खसरा नम्बर 1395 मी. रकबा 06–00–00 बीघा के साबिक खसरा नम्बर 1142 मी0 रकबा 06–00–00 बीघा के साबिक खसरा नम्बर 1142 मी0 रकबा 06–00–00 बीघा का न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार (नियमन) अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 02.07.1969 से रामदेव वल्द पांचू कौम माली के नाम नियमन किया गया था जिसका नामान्तकरण संख्या 114 दिनांक 19.8.1969 पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया तथा सम्बन्धित भू.अ.निरीक्षक द्वारा दिनांक 25.8.1969 को जांच रिपोर्ट दर्ज की गयी है जबकि तत्कालीन तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया गया। राजस्व रिकॉर्ड में नियमन दिनांक 02.07.1969 से दिनांक 16.9.2010 तक उक्त भूमि सिवायचक दर्ज थी। न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर ने तहसीलदार के विरूद्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 127 व 133 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर पारित निर्णय दिनांक 26.8.2010 में न्यायालय अति0 तहसीलदार अजमेर (नियमन) अजमेर के वाद संख्या 263/68 निर्णय दिनांक 02.07.1969 की पालना हेतु निर्देश जारी किये गये। माननीय न्यायालय द्वारा अति0 तहसीलदार अजमेर (नियमन) अजमेर के वाद संख्या 263/68 निर्णय दिनांक 02.07.1969 की छाया प्रति के आधार पर लगभग 41 वर्ष पश्चात नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। अति0 तहसीलदार अजमेर (नियमन) अजमेर के वाद संख्या 263/68 निर्णय दिनांक 02.07.1969 राजहित प्रभावित होने से निरस्त योग्य है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में उक्त भूमि का नियमन निरस्त फरमावे एवं उक्त भूमि को सिवासचक दर्ज किये जाने के आदेश पारित करे।

हमने पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार अजमेर के द्वारा उक्त प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 वादग्रस्त आराजी का नियमन निरस्त कर भूमि सिवायचक दर्ज करने के सबंध में रैफरेन्स प्रस्तुत किया गया है। ग्राम चाचियावास के आराजी खसरा नम्बर 1127/1 रकबा 0.96 हैक्टर के साबिक खसरा नम्बर 1395 मी रकबा 06 बीघा के साबिक खसरा नम्बर 1142 मी0 रकबा 06 बीघा का न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार (नियमन) अजमेर के आदेश दिनांक 02.07.1969 से रामदेव वल्द पांचू कौम माली सा. गेह के जारी किये गये थे जिसका अमल सक्षम न्यायालय जिला कलक्टर महोदय ने तहसीलदार अजमेर के विरूद्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 127 व 133 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर पारित निर्णय दिनांक 26.08.2010 में न्यायालय अति0 तहसीलदार अजमेर (नियमन) अजमेर के वाद संख्या 263/68 निर्णय दिनांक 02.07.1969 की पालना हेतु निर्देश जारी किये गये। उक्त वर्णित भूमि पर न्यायालय निर्णय की पालना में नामान्तकरण संख्या 114 दिनांक 16.09.2010 तस्दीक कर राजस्व रेकार्ड में रामदेव

जिला कलक्टर
अजमेर

पुत्र पांचू के फौत होने पर नामान्तकरण संख्या 735 दिनांक 30.09.2010 से रामदेव पुत्र पांचू के वारिसान मंगलचन्द, गणपतसिंह, पुत्र रामदेव नाथीदेवी मैना देवी, बसन्ती देवी पुत्रीयॉ रामदेव कोम माली के नाम दर्ज किया गया। उक्त भूमि के सबंध में जिला कलक्टर महोदय अजमेर के निर्णय दिनांक 26.08.2010 के विरूद्व भगवन्त एज्यूकेशन फाउण्डेशन द्वारा प्रथम अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर में की गयी। उक्त वर्णित भूमि के सबंध में न्यायालय अति. सभांगीय आयुक्त अजमेर ने अपील संख्या 16/11 बउनवानी भगवन्त एज्यूकेशन फाउण्डेशन बनाम मंगलचन्द व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.11.2011 से प्रथम अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर के निर्णय दिनांक 26.08.2010 को अपास्त करते हुए वादग्रस्त भूमि को सिवायचक करने के आदेश तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रदान किये गये जिसकी पालना में तहसीलदार अजमेर ने नामान्तकरण संख्या 24 दिनांक 25.11.2011 से उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज कर दी गयी। उक्त भूमि के सम्बन्ध में वादी (खातेदार सीताराम टांक पुत्र रामगोपाल टांक) ने न्यायालय अति0 सभांगीय आयुक्त अजमेर के निर्णय/आदेश दिनांक 04.11.2011 के विरूद्व द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की गयी। उक्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने निर्णय दिनांक 21.01.2014 में अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त के आदेश दिनांक 04.11.2011 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त अजमेर को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त भूमि के सबंध में न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश की पालना में न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त अजमेर में सुनवाई हेतु दर्ज अपील संख्या 07/2014 बउनवानी भगवन्त एज्यूकेशन फाउण्डेशन बनाम मंगलचन्द व अन्य में उभय पक्षकारान के द्वारा अपील नही चलाने एवं नोट प्रेस किये जाने से आदेश दिनांक 11.11.2014 से खारिज की गई। उक्त भूमि के सम्बन्ध में नामान्तकरण संख्या 114 के निस्तारण के कम में माननीय न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2018 के निस्तारण के कम में माननीय न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2018 निर्णय दिनांक 28.2.2018 में प्रकरण 10/2010 बउनवानी मंगलचन्द वगैरह बनाम तहसीलदार अजमेर में पारित पूर्व निर्णय 26.08.2010 यथावत तथा अति0 संभागीय आयुक्त अजमेर आदेशानुसार स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 24 दिनांक 25.11.2011 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 21.01.2014 व अति0 संभागीय आयुक्त के पुनः पारित आदेश दिनांक 11.11.2014 खारिज किये जाने से नामान्तकरण संख्या 24 दिनांक 25.11.2011 स्वतः निष्प्रभावी हो गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व 1956 नामान्तकरण संख्या 114 दिनांक 19.08.1969 पटवारी हल्का, भू.अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट दर्ज की गई है परन्तु उक्त नामान्तकरण तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया होना प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन एवं उक्त आवंटन की अनुपालना में स्वीकृत नामान्तरकरण सख्या 114 दिनांक 19.08.1969 एवं पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 735 दिनांक 30.09.2010 एवं नामान्तकरण संख्या 736 दिनांक 13.11.2010 नियमों में दिये गये प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त फरमाये जाने के साथ ही विवादित भूमि को पुनः सिवायचक दर्ज

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

करवाये जाने हेतु रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा, 82 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रस्तुत किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 26.08.2025 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर